न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 138/21 (वाद)

GCMS No. : 2021/271

अनवान

1. देउबाई पुत्री स्व० गोदा जी पत्नी रामलाल जी जाति डांगी आयु 51 वर्ष, निवासी सिन्दू, हाल गन्दोली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. हका डांगी पुत्र स्व० गोदा जी जाति डांगी, आयु 46 वर्ष, निवासी सिन्दू तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) ....वादीगण

बनाम्

1. राधू पुत्र मोती जी जाति तेली, आयु वयस्क, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. नाथू पुत्र मोती जी जाति तेली, आयु वयस्क, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. कन्ना पुत्र स्व० गोदा जी जाति तेली आयु वयस्क, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (सज०)
4. कंकु पुत्री स्व०गोदा जी पत्नी माधुलाल जी जाति तेली, आयु वयस्क, निवासी घासाखेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. लक्ष्मी पुत्री स्व० गोदा जी पत्नी उदयलाल जी जाति तेली, आयु वयस्क, निवासी तंतेला वाया देलवाड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
6. फूला पुत्र नंदा जी जाति तेली, आयु वयस्क, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

6/1 नारू पुत्र फुला तेली आयु वयस्क निवासी सिन्दु तहसील मावली

6/2 मोहन पुत्र फुला तेली आयु वयस्क निवासी सिन्दु तहसील मावली

6/3 हीरालाल पुत्र फुला तेली आयु वयस्क निवासी सिन्दु तहसील मावली

7. पटवारी, पटवार हल्का सिन्दू, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, हाल घासा जिला उदयपुर (राज०)

..............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 03.02.2026

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सिन्दु पटवार क्षेत्र सिन्दू, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पलानाकलां, तहसील मावली, हाल घासा, जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 2847 रकबा 1.0360 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:38:04 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 के नाम 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 के नाम 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 के नाम 1/8 हिस्सानुसार दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार अर्थात प्रतिवादी सं. 1, 2 ने एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के पिता खातेदार गोदा पिता नन्दा, प्रतिवादी संख्या 6 फुला पिता नन्दा तेली ने अपने सम्पूर्ण हिस्से कब्जे की भूमि को 1,000/– एक हजार रूपया के विक्रय प्रतिफल में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 05.10.1979 को हम वादीगण के पिता गोदा पिता रूपा जी डांगी गोत्र वातड़ा निवासी सिन्दू को विक्रय कर विक्रीत 1/2 हिस्से का मौके पर हमारे पिता को भौतिक कब्जा सिपुर्द कर दिया। तब से हमारे पिता अपनी क्रय सुदा कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज हो निरन्तर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करने लग गये और अपने पूरे जीवनकाल तक उक्त भूमि हमारे पिता के ही कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में रही। हमारे पिता के निधनोपरान्त उक्त कृषि भूमि हम वादीगण को विरासत में प्राप्त हुई जिस पर हम वादीगण हमारे पिता की मृत्यु के बाद से निरन्तर निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा वर्तमान में भी हमारे ही कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में है। हमारे पिता द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि के पडौस पूर्व में बिलानाम भूमि का, पश्चिम में डांगी उदाजी की भूमि का, उत्तर में रास्ता आम, दक्षिण में तेली पोखरजी वगैरा की भूमि का। उक्त कृषि भूमि विक्रय करने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 से 6 या इनके पूर्वजो का कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है और न ही वर्तमान में हैं।

2. यह कि हम वादीगण के पिता अनपढ़ व्यक्ति होकर ग्रामीण परिवेश के रहने वाले थे जिस कारण उनके द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि खरीदने के पश्चात् उक्त कृषि भूमि को राजस्व रेकर्ड में अपने नाम पर अंकन कराने की उन्हें जानकारी नही होने की वजह से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए हमारे पिता उपरोक्त अपनी क्रयसुदा भूमि को अपने नाम पर अंकित नही करवा सके जिससे उक्त भूमि विक्रेता प्रतिवादी संख्या 1, 2, 6 एवं गोदा पिता नन्दा डांगी के नाम पर ही राजस्व रेकर्ड में अंकित रह गई और इस दरमियान हमारे पिता का निधन हो गया है तथा विक्रेता गोदा पिता नन्दा डांगी का भी स्वर्गवास हो गया। विक्रेता गोदा पिता नन्दा डांगी का स्वर्गवास हो जाने से गोदा पिता नन्दा डांगी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pandia
Date: 2026.03.12 13:38:04 IST
Reason: SelfAttested

नाम अंकित हिस्सा भूमि विरासत से उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 के नाम पर अंकित हो गया जिससे वर्तमान में गोदा के हिस्से की जमीन प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 के नाम पर अंकित चली आ रही हैं। जबकि इस भूमि को विक्रय करने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का इस भूमि कोई हक अधिकार नही रहा है और न ही ये इस जमीन पर आये हैं। हम वादीगण की माता हीराबाई एवं पिता गोदाजी का स्वर्गवास हो चुका है जिससे गोदाजी के विधिक वारिसान हम वादीगण है इसलिये हम वादीगण हमारे पिता गोदाजी द्वारा खरीदी गई 1/2 हिस्सा कृषि भूमि को अपनी खातेदारी हक की घोषित करा राजस्व रेकर्ड में हमारे नाम पर संयुक्त रूप से अंकित कराने के अधिकारी है।

3. यहकि हम वादीगण का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योंकि हम वादीगण के पिता ने विक्रेता खातेदार प्रतिवादी सं. 1, 2 एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के पिता खातेदार गोदा पिता नन्दा, प्रतिवादी संख्या 6 फुला पिता नन्दा तेली को पूर्ण प्रतिफल देकर उनके नाम दर्ज कुलिया 1/2 हक हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा क्रय किया और कब्जा प्राप्त किया था तथा खरीद की दिनांक से निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते रहे तथा हमारे पिता के निधनोपरान्त इस भूमि पर हम वादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जिसका ज्ञान प्रतिवादी संख्या 1 से 6 तथा हर आम एवं खास को है। केवल मात्र हमारे पिता अनपढ एवं ग्रामीण परिवेश में रहने वाले होने के कारण उनको उक्त रजिस्ट्री के जरिए रेवेन्यु रेकर्ड में अपना नाम अंकन कराने की जानकारी नही होने से उक्त क्रयसुदा भूमि उनके नाम पर दर्ज नही हो सकी और विक्रेतागण का नाम ही रेकर्ड में अंकित रहा तथा विक्रेता गोदा का निधन होने से उसके हिस्से की जमीन प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के नाम पर विरासत से दर्ज हो गई। जबकि मौके पर वक्त खरीद से हमारे पिता व उनके पश्चात् हम वारिसान वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जमीन बेचने के बाद विक्रेतागण का कोई हक अधिकार इस भूमि पर नही रहा, न ही वर्तमान में है। जमीन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए खरीदी है लेकिन उक्त भूमि हमारे नाम पर अंकित नही होने से हमको भारी कठिनाईयों एवं असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है और भूमि सुधार के लिये ऋण इत्यादि भी नहीं ले पा रहे है इसलिये उक्त भूमि हम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2026.03.12 13:38:04 IST
Reason: SelfAttested

वारिसान हमारे नाम पर खातेदारी से घोषित करवा अपने नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। सुविधा संन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू भी हम वादीगण के पक्ष में ही है।

4. यह कि हम वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 29–07–2021 को उत्पन्न हुआ जब हम वादीगण ने अपने खातेदारी की जमीन की जमाबन्दी की नकल पटवारी हल्का के पास लेने गये जिसपर पटवारी हल्का ने उक्त जमीन हमारे नाम पर अंकित नही होने की बात बतायी और रजि० विक्रय पत्र के आधार पर कोर्ट में दावा कर जमीन नाम पर करवाने की बात कही, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

5. अंत में निवेदन किया की हम वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावें कि उक्त वर्णित कृषि भूमि आराजी संख्या 2847 में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम दर्ज कुलिया 1/2 हिस्सा का हम वादीगण को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे और इसी अनुसार हमारा नाम राजस्व रेकर्ड मे अंकित किये जाने एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम हटाये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावें।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6/3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 7, 8 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र गवाह पीडब्ल्यू 1 हका डांगी पुत्र गोदा डांगी, गवाह पीडब्ल्यू 2 देउबाई पुत्री स्व. गोदा पत्नी रामलालजी, गवाह पीडब्ल्यू 3 रामलाल पिता पिथा डांगी के पेश किए गए। गवाह पीडब्ल्यू 1 हका डांगी पुत्र गोदा डांगी वादी संख्या 2 द्वारा दस्तावेज मौजा सिन्दु की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 567 प्रदर्श 1, मौजा सिन्दु की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2033–36 पेज 1 से 2 प्रदर्श 2. नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066–69 की खाता संख्या 261 पेज 1 से 2 प्रदर्श 3, सरपंच ग्राम पंचायत सिन्दु द्वारा जारी गोदा का सजरा खानदान प्रदर्श 4, सरपंच ग्राम पंचायत सिन्दु द्वारा जारी हीरा बाई का सजरा खानदान प्रदर्श 5, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05[illegible]79 असल पेज 1 से 5 प्रदर्श 6 एवं छायाप्रति पत्रावली पर प्रदर्श [illegible] पेश किए। प्रकरण में अधिवक्ता वादीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purwadia
Date: 2026.03.12 13:38:04 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा दौराने बहस वाद पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए वादीगण के वाद को स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

7. हमने अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रदर्श 2 ग्राम सिन्दु पटवार हल्का सिन्दु तहसील मावली हाल घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2033–36 के अनुसार आराजी नम्बर 2847 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा भूमि मोती, गोदा, फूला पिता नन्दा के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज थी। विरासत के नामान्तरकरण संख्या 189 से भूमि राधू, नाथू पिता मोती के नाम दर्ज हुई। अर्थात वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2, प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के पिता गोदा, प्रतिवादी संख्या 6 फुला के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से से दर्ज रिकॉर्ड थी। प्रदर्श 6ए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.10.79 की फोटोप्रति के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1, 2, प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के पिता गोदा, प्रतिवादी संख्या 6 फुला के नाम संयुक्त रूप से दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि को वादीगण के पिता गोदा पिता रूपाजी को विक्रय कर दी गई। इस प्रकार वादीगण के पिता गोदा पिता रूपाजी दिनांक 05.10.79 को क्रय दिनांक से ही खातेदार हो चुके थे। लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण पारित कर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता गोदा का नाम दर्ज नही किया। जिससे वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2, 6 एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के पिता के नाम ही दर्ज चली आ रही थी। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के पिता गोदा पुत्र नन्दा का निधन हो जाने के पश्चात राजस्व कर्मचारियो द्वारा विरासत से प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के नाम गोदा पुत्र नन्दा के हिस्से में दर्ज कर दिया गया। प्रदर्श 1 ग्राम सिन्दु पटवार हल्का सिन्दु तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 567 पर दर्ज आराजी नम्बर 2847 रकबा 1.0360 के अनुसार वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2, प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के पिता गोदा, प्रतिवादी संख्या 6 फुला के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से से दर्ज थी। इनके द्वारा अपने 1/2 हिस्से को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.10.79 को वादीगण के पिता गोदा पुत्र रूपाजी को विक्रय कर दिया गया। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:38:04 IST
Reason: SelfAttested

कर्मचारियो द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता का नाम दर्ज नही करने से वादग्रस्त भूमि पूर्व के खातेदारो के नाम ही दर्ज रह गई। पूर्व का खातेदार गोदा पिता नन्दा का निधन हो जाने से विरासत से प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के नाम दर्ज हो गई। जबकि वादीगण के पिता वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.10.79 को खातेदार हो चुका था। केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद नही हुआ। वादीगण के पिता का निधन हो जाने के पश्चात वादीगण खातेदार हो चुके थे। केवल मात्र राजस्व कर्मचारियो की भूल के कारण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण के पिता का नाम दर्ज नही हो सका। वादीगण के पिता सद्भावी क्रेता है। ऐसे में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण के पिता का वादग्रस्त भूमि में 1/2 हक हिस्सा निहित है। राजस्व कर्मचारियो द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम दर्ज भूमि को क्रेता के नाम पर दर्ज नही कर भारी भूल की है। वादीगण के पिता का निधन हो जाने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत विरासत से वादीगण के पिता की भूमि में वादीगण का हक हिस्सा बनता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम सिन्दु पटवार हल्का सिन्दु तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 567 पर दर्ज आराजी नम्बर 2847 रकबा 1.0360 प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1, 2 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:38:04 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. देउबाई पुत्री स्व० गोदा जी पत्नी रामलाल जी जाति डांगी आयु 51 वर्ष, निवासी सिन्दू, हाल गन्दोली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. हका डांगी पुत्र स्व० गोदा जी जाति डांगी, आयु 46 वर्ष, निवासी सिन्दू तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...........वादीगण

बनाम्

1. राधू पुत्र मोती जी जाति तेली, आयु वयस्क, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. नाथू पुत्र मोती जी जाति तेली, आयु वयस्क, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. कन्ना पुत्र स्व० गोदा जी जाति तेली आयु वयस्क, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (सज०)
4. कंकु पुत्री स्व०गोदा जी पत्नी माधुलाल जी जाति तेली, आयु वयस्क, निवासी घासाखेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. लक्ष्मी पुत्री स्व० गोदा जी पत्नी उदयलाल जी जाति तेली, आयु वयस्क, निवासी तंतेला वाया देलवाड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
6. फूला पुत्र नंदा जी जाति तेली, आयु वयस्क, निवासी सिन्दु, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

6/1 नारू पुत्र फुला तेली आयु वयस्क निवासी सिन्दु तहसील मावली

6/2 मोहन पुत्र फुला तेली आयु वयस्क निवासी सिन्दु तहसील मावली

6/3 हीरालाल पुत्र फुला तेली आयु वयस्क निवासी सिन्दु तहसील मावली

7. पटवारी, पटवार हल्का सिन्दू, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, हाल घासा जिला उदयपुर (राज०)

..............प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

वाद अन्तर्गत धारा 88 [illegible]श्तकारी अधिनियम

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:38:04 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नं0 : 13[illegible]21 (वाद)

GCMS No. : 2021/271

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम सिन्दु पटवार हल्का सिन्दु तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 567 पर दर्ज आराजी नम्बर 2847 रकबा 1.0360 प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1, 2 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 03.02.2026 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:38:04 IST
Reason: SelfAttested